आदेश पर बारे में टिप्पणी

(3) (2)

<u>उपायुक्त का न्यायालय, दुमका</u>

रे0मि0 पिटीशन वाद सं0 03/2019-20

सतीश चन्द्र मंडल..आवेदक

बनाम्

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका...विपक्षी

<u>आदेश</u>

03.09.2021

यह रे0मि0 पिटीशन वाद आवेदक सतीश चन्द्र मंडल एवं अन्य सा0 टीन बाजार, भागलपुर रोड, दुमका के आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है।

आवेदक द्वारा अपने आवेदन में कहा है कि उनके पूर्वजों को मौजा बन्दरजोड़ी के दाग सं0-364/B रकवा 05 बीघा 01 कट्ठा जमीन अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के SR. Case No 199A/1948-49 में बन्दोबस्ती प्राप्त है। इस बन्दोबस्ती की सम्पुष्टि उपायुक्त, दुमका द्वारा भी किया गया है। आवेदकों द्वारा जब उक्त जमीन पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया तो वन विभाग के फोरेस्टर एवं रेंजर द्वारा उस पर निर्माण कार्य बन्द करवा दिया तथा धमकी दिया गया। आवेदकों का कहना है कि प्रश्नगत जमीन पर आवेदकों का दखल कब्जा है तथा लगान का भी भुगतान करते आ रहे है। अतः विपक्षी पर कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य में आवेदकों को सुरक्षा दिया जाय।

वन विभाग द्वारा संबंधित मामले में किसी प्रकार का आदेश पारित किये जाने के संबंध में पुष्ट सूचना अथवा उक्त के संबंध में आवेदक के द्वारा कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक के मौखिक दावा मात्र के आलोक में

(4)

(4)

आवेदन पर किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आवेदक वर्णित मामले के संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका के समक्ष परिवाद दर्ज करने अथवा नियमानुसार अन्य वैधानिक कार्रवाई हेतु स्वतंत्र हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

2.30 बजे 8.10.21

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:48:42 +05:30
Location: 169.254.227.244